संख्या– /XXVIII(5)/2025 (E-79471)

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक मार्च, 2025

विषय– राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के अन्तर्गत स्टेट कैंसर संस्थान के रेडियोथेरेपी एवं रेडियेशन फिजिक्स विभाग हेतु उपकरण क्रय किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–430/चि0शि0/ 03(मेडिकल) /176/2014 दिनांक 23 जनवरी, 2025 के तथा उपकरणों क्रय एवं सिविल कार्य की लागत में वृद्धि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण विषयक राजकीय मेडिकल कॉलेज (राज्य कैंसर संस्थान) को सम्बोधित भारत सरकार के पत्र दिनांक 27 फरवरी, 2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा प्रदत्त संस्तुतिनुसार राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के अन्तर्गत स्टेट कैंसर संस्थान के रेडियोथेरेपी एवं रेडियेशन फिजिक्स विभाग हेतु GeM के माध्यम से आमंत्रित ई–निविदा में स्वीकृत दरों पर अर्ह फर्म M/S Sysmed Exim Pvt. Led. Chandigarh से Digital Linear Accelerator 6MV FF, 10 MV FF & 15 MV FF.6 MV FFF, 10 MV FFF Photons, SRS, SRT, SBRT 5 Electronics, VMAT & IGR (KV Imaging), 6 D Couch, Inverse TPS with radiation physics qa and dosimetry equipment's such as 3DRGA, Film dosimetry system, daily QA, Patient QA, machine QA, adult male/female phantom etc-01Set उपकरण/संयंत्र को क्रय किये जाने हेतु स्टेट कैंसर संस्थान की स्थापना के अन्तर्गत आपके SNA खाते में स्थानान्तरित धनराशि के सापेक्ष **₹ 30,97,80,000/– (₹ तीस करोड़ सत्तानबे लाख अस्सी हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, इतनी ही धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

i. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा के पत्रांक–1067/चि0शि0/03(मेडिकल)/176/2014 दिनांक 11 मार्च, 2025 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उक्त उपकरण को क्रय किये जाने हेतु आपूर्तिकर्ता के पक्ष में Inland Letter of Credit (L.C.) खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
ii. सम्पादित ई–निविदा की प्रक्रिया का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व व्यक्तिगत रूप से निदेशक, स्टेट कैंसर संस्थान/प्राचार्य/वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी का होगा।
iii. वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन–2018 (समय–समय पर संशोधित) एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में निहित व्यवस्था प्राविधानों एवं क्रय के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत समस्त नियमों/शासनादेशों एवं तद्विषयक अन्य प्राविधानों

का अनुपालन सुनिश्चित करके ही उपरोक्त उपकरण/संयंत्र क्रय किये जायेंगे।

iv. उक्त व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसमे लिए स्वीकृत किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में समस्त प्रचलित वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

v. भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मितव्ययिता सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया गया है।

vi. प्राचार्य स्तर से चयनित फर्म को धनराशि निर्गत किये जाने से पूर्व चयनित फर्म से एम0ओ0यू0 किया जायेगा तथा एम0ओ0यू0 के अनुरूप उपकरण समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

vii. व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन न हों एवं क्रय की पुनरावृत्ति किसी भी दशा में न हो।

viii. विभाग मशीन/उपकरण को क्रियाशील रखने हेतु योग्य विशेषज्ञ की तैनाती निरन्तर सुनिश्चित करेगा, ताकि अक्रियाशील के कारण अनुरक्षण कराने की पुनरावृत्ति न हो।

ix. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त कर उसके रख–रखाव व संचालन करने तथा निर्धारित बजट से उसका भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होंगें।

x. उक्त योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्गत Guidlines में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं भारत सरकार से समय–समय पर निर्गत आदेशों तथा भारत सरकार से हुए एम0ओ0यू0 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

2 – सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–201358/09(150) 2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या–238662/03(150) 2017/XXVII(1)/2024 दिनांक 10 सितम्बर, 2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 12-03-2025 16:47:45

भवदीय,

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार),

सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

<u>प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

i. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून
ii. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
iii. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी।
iv. निदेशक, स्टेट कैंसर संस्थान, हल्द्वानी।
v. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
vi. गार्ड फाईल।